

को कानूनन विभाजन से पूर्व भूमि के विशिष्ट भू-भाग पर एकमेव अधिकार प्राप्त नहीं हो जाते हैं। सायल यह साबित करने में विफल रहे हैं कि अविभाजित सह-ख़ातेदारी आराजी में यदि उनके पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की गई तो उन्हें किस प्रकार अपूरणीय क्षति होगी। अतः यह बिन्दू भी सायल के विरुद्ध साबित होता है।

उपर्युक्त बिन्दुवार विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि हस्तगत प्रकरण सायल/वादी के पक्ष में बख़ूबी साबित नहीं होने से अस्वीकार किया जाना विधिसंगत होगा।

--: आदेश :-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना पत्र सायल/वादी अन्तर्गत धारा- 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 सायल के पक्ष में बख़ूबी साबित नहीं होने तथा सारहीन होने से ख़ारिज/अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली इसी माफिक निर्णीत होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ़्तर हो।



सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक), जैतारण
जिला-ब्यावर (राज 0)

निर्णय आज दिनांक 15.01.2025 को सर-ए-इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक), जैतारण
जिला-ब्यावर (राज 0)